मेरा सिंगल प्रीमियम प्लान!

प्रस्तुत है LIC's

नव जीवन श्री

सिंगल प्रीमियम

यूआईएन: 512N390V01 • प्लान नं.: 911

सिर्फ एक बार प्रीमियम भरें और पाएँ

- ₹1000 के मूल बीमा राशि पर @ ₹85 का गारंटीड ॲडिशन्स.
- परिपक्वता या मृत्यु पर सेटलमेंट का विकल्प.
- मौजूदा पॉलिसीधारकों के लिए आकर्षक छूट.
- पॉलिसी अवधि के दौरान ऋण की सुविधा.

प्लान ऑनलाइन भी उपलब्ध है

(एक नॉन–पार, नॉन–लिंक्ड, जीवन, व्यक्तिगत, बचत योजना)

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
हर पल आपके साथ

LIC/R1/2025-26/10/Hin/SB

अधिक जानकारी के लिए, अपने बीमा एजेन्ट/अपनी निकटतम एलआईसी शाखा से संपर्क करें/www.licindia.in पर जाएं

LIC मोबाइल ऐप डाउनलोड करें LIC digital | विज़िट करें: licindia.in | कॉल सेन्टर सर्विस (022) 6827 6827 | हमारा वॉट्सएप नं. 8976862090 कहिए 'Hi'

हमें यहाँ फ़ॉलो करें: LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

एलआईसी की नव जीवन श्री – एकल प्रीमियम (UIN:512N390V01)

एक असहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत, बचत, योजना

एलआईसी की नव जीवन श्री – एकल प्रीमियम एक असहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत बचत योजना है। यह गारंटीड एडीशन्स के साथ एक एकल प्रीमियम एंडोमेंट योजना है। यह योजना बचत और सुरक्षा का आकर्षक संयोजन प्रदान करती है और इसे विशेष रूप से आपकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त धन रखने के लिए तैयार किया गया है। यह एक असहभागी योजना है जिसके अंतर्गत मृत्यु होने या जीवित रहने पर मिलने वाले हितलाभों की गारंटी है तथा निश्चित राशि दी जाती है, वास्तविक अनुभव के बावजूद भी। अत: यह पॉलिसी कोई विवेक आधारित हितलाभ जैसे कि बोनस आदि या अधिशेष राशि में हिस्सा नहीं प्रदान करती है।

इस योजना को ऑफ़लाइन लाइसेंस प्राप्त एजेन्ट्स, कॉर्पोरेट एजेन्ट्स ब्रोकर्स, इंश्योरेन्स मार्केटिंग फर्म्स, पॉइन्ट ऑफ़ सेल्स पर्सन–लाइफ इंश्योरेन्स (पीओएसपी–एलआई)/ कॉमन पब्लिक सर्विस सेंटर्स (सीपीएससी–एसपीवी) तथा ऑनलाइन सीधे वेबसाइट www.licindia.in के ज़रिए खरीदा जा सकता है।

प्रत्याशित पॉलिसीधारकों को सूचित किया जाता है कि वे खरीद संबंधी निर्णय लेते समय उत्पाद की विशेषताओं संबंधित जोखिमों और लाभों पर विचार करें और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वोत्तम विकल्प/उत्पाद चुनें।

1. मुख्य विशेषताएं :

- प्रीमियम का भुगतान एक बार करें क्योंकि यह एकल प्रीमियम योजना है।
- चालू पॉलिसी के लिए संपूर्ण पॉलिसी अवधि के दौरान प्रति 1000 रुपए मूल बीमित राशि पर 85 रुपए की दर से गारंटीकृत अतिरिक्त हितलाभ।
- शुरुआत में आवश्यकता के अनुसार “मृत्यु पर बीमित राशि’ के दो विकल्पों में से जोखिम बीमा–सुरक्षा चुनने की सुविधा।
- निम्नांकित को चुनने की सुविधा
  - o आवश्यक के अनुसार बीमा–सुरक्षा की अवधि चुनने का विकल्प
  - o किस्तों में परिपक्वता/मृत्यु हितलाभ का भुगतान प्राप्त करने का विकल्प
- राइडर हितलाभों के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करने पर राइडर हितलाभों का चयन कर बीमा सुरक्षा बढ़ाने का विकल्प।
- उच्च बीमा राशि के लिए आकर्षक छूट का लाभ।
- विद्यमान पॉलिसीधारक और मृतक पॉलिसीधारक के नामिती/लाभार्थी के लिए छूट
- ऋण सुविधा के माध्यम से नकदी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति।

2. पात्रता की शर्तें तथा अन्य प्रतिबंध:

i.	प्रवेश के समय न्यूनतम उम्र	30 दिन पूर्ण
ii.	प्रवेश के समय अधिकतम उम्र	विकल्प I के अंतर्गत 60 वर्ष (निकटतम जन्मदिन) विकल्प II के अंतर्गत 40 वर्ष (निकटतम जन्मदिन) पीओएसपी–एलआई/सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से प्राप्त पॉलिसियों के मामले में 65 वर्ष (निकटतम जन्मदिन) में से पॉलिसी अवधि *घटाकर*।
iii.	परिपक्वता की न्यूनतम उम्र	18 वर्ष (पूर्ण)

<table>
<tr><td>iv.</td><td>परिपक्वता की अधिकतम उम्र</td><td colspan="2">विकल्प I के अंतर्गत 75 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)
विकल्प II के अंतर्गत 60 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)
पीओएसपी–एलआई/सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से प्राप्त पॉलिसियों के मामले में, 65 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)</td></tr>
<tr><td>v.</td><td>पॉलिसी की न्यूनतम अवधि</td><td colspan="2">5 वर्ष</td></tr>
<tr><td>vi.</td><td>पॉलिसी की अधिकतम अवधि</td><td colspan="2">20 वर्ष</td></tr>
<tr><td>vii.</td><td>प्रीमियम की भुगतान अवधि</td><td colspan="2">एकल भुगतान</td></tr>
<tr><td>viii.</td><td>न्यूनतम बीमा राशि</td><td colspan="2">रु. 1,00,000/–</td></tr>
<tr><td>ix.</td><td>अधिकतम मूल बीमा राशि</td><td colspan="2">कोई सीमा नहीं, बोर्ड अनुमोदित जोखिमांकन नीति के अधीन।</td></tr>
<tr><td rowspan="4">x.</td><td rowspan="4">मूल बीमा राशि गुणक</td><td colspan="2">मूल बीमा राशि नीचे निर्दिष्ट राशि के गुणकों में होगी:</td></tr>
<tr><td>मूल बीमित राशि की सीमा</td><td>बीमित राशि गुणक (रु.)</td></tr>
<tr><td>रु. 1,00,000/– से रु. 2,00,000/–</td><td>10,000/–</td></tr>
<tr><td>रु. 2,00,000/– से अधिक</td><td>25,000/–</td></tr>
</table>

जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि: यदि प्रवेश के समय बीमित व्यक्ति की उम्र 8 वर्ष से कम है, तो जोखिम या तो पॉलिसी प्रारंभ होने की तिथि से 2 वर्ष पूर्ण होने से, या 8 वर्ष की उम्र पूर्ण होने के साथ या उसके तुरंत बाद पॉलिसी वर्षगाँठ से, जो भी पहले हो, प्रारंभ होगा। प्रवेश के समय 8 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए जोखिम, जोखिम स्वीकार करने की तिथि, अर्थात पॉलिसी जारी होने की तिथि से तुरंत प्रारंभ हो जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत निहित होने की तिथि: यदि पॉलिसी किसी अवयस्क जीवन पर जारी की जाती है, तो 18 वर्ष की आयु पूरी होने के साथ या उसके तुरंत बाद आने वाली पॉलिसी वर्षगाँठ पर पॉलिसी स्वचलित रूप से बीमित व्यक्ति में निहित हो जाएगी और इस तरह निहित होने पर निगम और बीमित व्यक्ति के बीच अनुबंध मानी जाएगी।

3. हितलाभ:

ए. मृत्यु हितलाभ:

प्रस्तावक के पास उपलब्ध दो विकल्पों के अनुसार **"मृत्यु पर बीमा राशि"** चुनने का विकल्प होगा।

आपको अपनों की विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए विकल्पों का चयन सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि चुने गए प्लान के अनुसार प्रीमियम तथा हितलाभों में भिन्नता होगी तथा इसे बाद में बदला नहीं जा सकता है।

विकल्प	**मृत्यु पर बीमा राशि**
विकल्प I	इनमें से जो भी ज़्यादा हो: • सारणीबद्ध एकल प्रीमियम का 1.25 गुना; या • मूल बीमा राशि
विकल्प II	सारणीबद्ध एकल प्रीमियम का 10 गुना

नोट : उपरोक्त वर्णित सारणी में:

‘सारणीबद्ध एकल प्रीमियम’, चयनित मृत्यु पर बीमा राशि विकल्प और मूल बीमित राशि के लिए प्रीमियम होगी, जो किसी भी छूट या लोडिंग या किसी अतिरिक्त बीमांकन को शामिल करने से पहले बीमित व्यक्ति की आयु पर आधारित होगी और इसमें कोई कर और राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो, शामिल नहीं होंगे।

एक बार चुन लिए गए विकल्प को बाद में बदला नहीं जा सकता है।

जोखिम की शुरुआत की तिथि के बाद, लेकिन परिपक्वता की तिथि से पहले पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर देय मृत्यु हितलाभ उपार्जित गारंटीड एडीशन्स के साथ **“मृत्यु पर बीमित राशि”** के बराबर होगा।

“मृत्यु पर बीमा राशि” चुने गए विवरण के अनुसार होगी, जिसका विवरण ऊपर सारणी में दिया गया है।

लेकिन अवयस्क बीमित व्यक्ति के मामले में, जहां प्रवेश करने की उम्र 8 वर्ष से कम है, जोखिम के आरंभ होने से पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, मृत्यु हितलाभ की राशि, अदा किए गए एकल प्रीमियम (कर, अतिरिक्त प्रीमियम तथा राइडर प्रीमियम, अगर कोई हो को छोड़कर) को, बिना किसी ब्याज, लौटाना होगा।

मृत्यु हितलाभ का भुगतान ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार एकमुश्त तथा/या किस्तों में किया जाएगा, (जैसा कि नीचे पैरा 4.III में विनिर्धारित किया गया है)।

बी. परिपक्वता हितलाभ:

परिपक्वता की निर्धारित तिथि तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर **“परिपक्वता पर बीमा राशि”** का अर्जित गारंटीड एडीशन्स के साथ भुगतान किया जाएगा; जहां, “परिपक्वता पर बीमा राशि” मूल बीमा राशि के समान है।

सी. गारंटीड एडीशन्स:

शूरूआत से लेकर पॉलिसी अवधि के अंत तक प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में प्रत्येक रु. 1000 मूल बीमा राशि पर रु. 85 की दर से गारंटीड एडीशन्स देय होगा।

पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, मृत्यु के वर्ष गारंटीड एडीशन्स का भुगतान पूरे पॉलिसी वर्ष के लिए किया जाएगा।

4. उपलब्ध विकल्प:

I. राइडर हितलाभ:

इस प्लान के अंतर्गत अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर निम्नांकित दो वैकल्पिक राइडर्स (या इनके संशोधित स्वरूप) उपलब्ध हैं। पॉलिसीधारक नीचे दी गई पात्रता के अधीन इन राइडर्स का विकल्प चुन सकता है।

ए) एलआईसी का दुर्घटना से मृत्यु एवं दिव्यांगता हितलाभ राइडर (UIN: 512B209V02)

एलआईसी का दुर्घटनाजन्य मृत्यु और दिव्यांगता हितलाभ राइडर पॉलिसी आरंभ होने के समय अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर वैकल्पिक राइडर के रूप में उपलब्ध है। इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ कवर पॉलिसी की वर्षगांठ तक उपलब्ध रहेगा, जिस दिन बीमित व्यक्ति की आयु 70 वर्ष होगी या पॉलिसी अवधि के अंत तक, जो भी पहले हो। अगर इस राइडर को दुर्घटना के कारण मृत्यु की स्थिति के लिए चुना जाता है, तो दुर्घटना हितलाभ राइडर बीमा राशि एकमुश्त रूप से देय होगी। दुर्घटना के कारण दिव्यांगता पैदा होने पर (दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के अंदर) दुर्घटना लाभ बीमा राशि के समान राशि का भुगतान 10 वर्षों की अवधि में समान मासिक किस्तों में किया जाएगा।

बी) एलआईसी का न्यू टर्म एश्योरेन्स राइडर (UIN: 512B210V02)

एलआईसी का नया टर्म एश्योरेन्स राइडर केवल पॉलिसी की आरंभ में ही उपलब्ध है। इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ संरक्षण पॉलिसी अवधि के दौरान उपलब्ध होगा। अगर इस राइडर को चुना जाता है, तो बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर ‘टर्म राइडर मृत्यु पर बीमा राशि’ के समान एक राशि का भुगतान किया जाएगा।

इन जीवन बीमा राइडर्स के अंतर्गत कुल प्रीमियम मूल प्लान के अंतर्गत प्रीमियम्स के 30% से अधिक नहीं होगा। उपरोक्त प्रत्येक राइडर बीमा राशि मूल प्लान के अंतर्गत मूल बीमा राशि से अधिक नहीं हो सकती।

उपरोक्त राइडर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए, राइडर ब्रोशर देखें या एलआईसी के नजदीक शाखा कार्यालय से संपर्क करें.

पीओएसपी–एलआई/सीपीएससी–एसपीवी के ज़रिए ली गई पॉलिसियों के मामले में कोई राइडर उपलब्ध नहीं होगा.

II. निपटान विकल्प (परिपक्वता हितलाभ के लिए):

निपटान विकल्प एकमुश्त राशि लेने के बजाय 5 या 10 या 15 वर्ष की चुनी हुई अवधि में किस्तों में परिपक्वता लाभ प्राप्त करने के लिए एक विकल्प है। इस विकल्प का उपयोग जीवन बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान पॉलिसीधारक द्वारा या 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जीवन बीमित व्यक्ति द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान; पॉलिसी के अंतर्गत देय पूर्ण या आंशिक मृत्यु लाभों के लिए किया जा सकता है। पॉलिसीधारक/जीवन बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (यानी शुद्ध दावा राशि) या तो निश्चत मूल्य में, या फिर कुल देय दावा प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किस्तों का भुगतान, चुने गए अनुसार, वार्षिक या छमाही या तिमाही या मासिक अंतराल पर अग्रिम रूप से किया जाएगा, जो कि विभिन्न भुगतान माध्यमों के लिए नीचे दी गई न्यूनतम किस्त राशि के अधीन होगा:

किस्त भुगतान का माध्यम	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	रु. 5,000/–
तिमाही	रु. 15,000/–
छमाही	रु. 25,000/–
वार्षिक	रु. 50,000/–

अगर दावे की कुल राशि पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प हेतु न्यूनतम किस्त राशि से कम है तो राशि का केवल एकमुश्त भुगतान ही किया जाएगा। 1 मई से 30 अप्रैल की 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए प्रत्येक किस्त की राशि की गणना करने के लिए इस्तेमाल की गई ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी जो 10 वर्ष की अर्ध्दवार्षिक जी–सेक यिल्ड मायनस 2% से कम नहीं होगी; जहां 10 वर्षीय अर्ध्दवार्षिक जी–सेक दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगी।

तद्नुसार, 1 मई 2025 से 30 अप्रैल 2026 की 12 महीने की अवधि के लिए, किस्त की राशि की गणना करने के लिए लागू ब्याज दर 4.62% वार्षिक होगी।

परिपक्वता हितलाभ में निपटान विकल्प का इस्तेमाल करने के लिए पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति को परिपक्वता की देय तिथि से कम से कम 3 माह पहले, किस्तों में दावे की कुल राशि को पाने के लिए विकल्प को चुनना होगा।

पहला भुगतान परिपक्वता की तिथि को किया जाएगा और उसके बाद पॉलिसीधारक द्वारा चुने हुए किस्त भुगतान के माध्यम के अनुसार परिपक्वता की तिथि से प्रत्येक महीने या तिमाही या छमाही या वार्षिक आधार पर, जैसा भी मामला हो, भुगतान किया जाएगा।

निपटान के अंतर्गत किस्त भुगतान शुरू होने के बाद:

i. अगर किसी बीमित व्यक्ति ने जिसने परिपक्वता हितलाभ के निपटान विकल्प पर अमल किया है, अब उस विकल्प को वापस लेकर बकाया किस्तों को कम्यूट (एक साथ लेना) चाहता है, तो बीमित व्यक्ति से इस बारे में लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर इसकी अनुमति होगी। ऐसे मामले में, एकमुश्त राशि जो कि निम्नलिखित में से जो भी अधिक हो, के समान होगी तथा पॉलिसी को रद्द कर दिया जाएगा।

- भविष्य में देय सभी किस्तों का रियायती मूल्य; या
- (मूल राशि जिसके लिए निपटान विकल्प का प्रयोग किया गया था)–(अदा की जा चुकी किस्तों का योगफल)

ii. भविष्य के किस्त भुगतानों में छूट करने के लिए अपनाई जाने वाली ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी जो, 10 वर्ष की अर्ध्दवार्षिक जी–सेक प्रतिफल से अधिक नहीं होगी। जहां 10 वर्ष की छमाही जी–सेक दर पूर्व वित्तीय वर्ष के अंतिम कामकाजी दिन, जिसके दौरान निपटान विकल्प को शुरु किया गया था, के अनुसार होगी।

तदनुसार, 1 मई, 2025 से 30 अप्रैल, 2026 तक 12 महीनों की अवधि के दौरान शुरू किए गए सभी निपटान विकल्पों के संबंध में, भावी किस्तों में छूट के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकतम लागू ब्याज दर 6.62 प्रतिशत प्रति वर्ष प्रभावी होगी।

iii. परिपक्वता की तिथि के पश्चात, बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, जिसने निपटान विकल्प चुना हो, बकाया किस्तों का भुगतान नामित व्यक्ति को बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार, बिना किसी बदलाव किया जाता रहेगा, और नामित व्यक्ति को इसमें कोई बदलाव नहीं करने दिया जाएगा।

III. मृत्यु हितलाभ को किस्तों में लेने का विकल्प:

एकमुश्त राशि लेने के बजाय 5 या 10 या 15 वर्ष की चुनी हुई अवधि में किस्तों में मृत्यु हितलाभ प्राप्त करने के लिए एक विकल्प है। इस विकल्प का उपयोग जीवन बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान पॉलिसीधारक द्वारा या 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जीवन बीमित व्यक्ति द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान; पॉलिसी के अंतर्गत देय पूर्ण या आंशिक मृत्यु लाभों के लिए किया जा सकता है। पॉलिसीधारक/जीवन बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (यानी शुद्ध दावा राशि) या तो निश्चत मूल्य में, या फिर कुल देय दावा प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किस्तों का भुगतान, चुने गए अनुसार, वार्षिक या छमाही या तिमाही या मासिक अंतराल पर अग्रिम रूप से किया जाएगा, जो कि विभिन्न भुगतान माध्यमों के लिए नीचे दी गई न्यूनतम किस्त राशि के अधीन होगा

किस्त भुगतान का माध्यम	**न्यूनतम किस्त राशि**
मासिक	रु. 5,000/–
तिमाही	रु. 15,000/–
छमाही	रु. 25,000/–
वार्षिक	रु. 50,000/–

अगर दावे की कुल राशि पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प हेतु न्यूनतम किस्त राशि से कम है तो राशि का केवल एकमुश्त भुगतान ही किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल की 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए प्रत्येक किस्त की राशि की गणना करने के लिए इस्तेमाल की गई ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी जो 10 वर्ष की अर्ध्दवार्षिक जी–सेक यिल्ड दर मायनस 2% से कम नहीं होगी; जहां 10 वर्षीय अर्ध्दवार्षिक जी–सेक दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगी।

तद्नुसार, 1 मई 2025 से 30 अप्रैल 2026 की 12 महीने की अवधि के लिए, किस्त की राशि की गणना करने के लिए लागू ब्याज दर 4.62% वार्षिक होगी।

किस्तों में मृत्यु हितलाभ लेने के विकल्प का प्रयोग करना, बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान पॉलिसीधारक या बीमित व्यक्ति अगर वह वयस्क हो, पॉलिसी के चालू रहने के समय अपने जीवन काल में किस्त भुगतान की अवधि तथा कुल दावा राशि, जिसके लिए वह विकल्प का प्रयोग करना चाहता है, का उल्लेख करते हुए इस विकल्प को चुन सकता है। पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार तब नामित व्यक्ति को मृत्यु दावे की राशि का भुगतान किया जाएगा और नामित व्यक्ति को इसमें कोई बदलाव नहीं करने दिया जाएगा।

5. प्रीमियम के नमूने का उदाहरण :

ऑफलाइन बेची जाने वाली पॉलिसियों के लिए मानक जीवन के लिए रु. 1,00,000 की मूल बीमा राशि (बीएसए) की एकल प्रीमियम (रुपये में) का उदाहरण निम्नानुसार है:

विकल्प I				
एकल प्रीमियम (रु. में)				
उम्र	पॉलिसी अवधि			
	5	10	15	20
5	–	–	97,670	87,030
20	1,12,770	1,07,685	97,950	87,335
35	1,12,860	1,07,925	98,390	88,040
45	1,13,255	1,08,855	99,890	90,145
55	1,14,520	1,11,330	1,03,500	95,125

विकल्प II				
एकल प्रीमियम (रु. में)				
उम्र	पॉलिसी अवधि			
	5	10	15	20
5	–	–	1,01,520	91,995
20	1,17,900	1,16,415	1,08,855	99,670
35	1,18,575	1,19,010	1,14,365	1,09,150
45	1,20,510	1,24,045	1,24,080	1,26,390
55	1,24,475	1,35,325	1,48,880	1,74,685

उपरोक्त प्रीमियमों में टैक्स शामिल नहीं है।

6. छूट :

I. उच्च मूल बीमा राशि के लिए छूट :

विकल्प I के अंतर्गत:

मूल बीमा राशि सीमा (बीएसए) (रु.)	**प्रति 1,000 रुपए बीएसए पर सारणीबद्ध प्रीमियम पर छूट**			
	पॉलिसी अवधि (वर्षों में)			
	5 से 9	**10 से 14**	**15 से 19**	**20**
1,00,000 से लेकर 2,00,000 से कम तक	00.00	00.00	00.00	00.00
2,00,000 से लेकर 5,00,000 से कम तक	28.00	35.00	39.00	43.00
5,00,000 से लेकर 10,00,000 से कम तक	49.00	60.00	68.00	75.00
10,00,000 से लेकर 15,00,000 से कम तक	56.00	69.00	78.00	85.00
15,00,000 और उससे अधिक	58.00	72.00	81.00	89.00

विकल्प II के अंतर्गत:

मूल बीमा राशि सीमा (बीएसए) (रु.)	प्रति 1,000 रुपए बीएसए पर सारणीबद्ध प्रीमियम पर छूट			
	पॉलिसी अवधि (वर्षों में)			
	5 से 9	**10 से 14**	**15 से 19**	**20**
1,00,000 से लेकर 2,00,000 से कम तक	00.00	00.00	00.00	00.00
2,00,000 से लेकर 5,00,000 से कम तक	25.00	32.00	36.00	40.00
5,00,000 से लेकर 10,00,000 से कम तक	44.00	55.00	64.00	69.00
10,00,000 से लेकर 15,00,000 से कम तक	50.00	63.00	73.00	79.00
15,00,000 और उससे अधिक	52.00	65.00	76.00	83.00

II. ऑनलाइन बिक्री के अंतर्गत छूट :

एजेंटों/मध्यस्थ की किसी सहायता के बिना ऑनलाइन विक्रय के अंतर्गत पूरा किया जाने वाला प्रस्ताव सारणीबद्ध एकल प्रीमियम पर 2% की छूट का पात्र होगा।

III. विद्यमान पॉलिसीधारक और मृतक पॉलिसीधारक के नामिती/लाभार्थी के लिए छूट :

इस योजना के अंतर्गत मृतक पॉलिसीधारक के नामिती या लाभार्थी सहित विभिन्न श्रेणी के मौजूदा पॉलिसीधारकों के लिए प्रति 1000 रुपये मूल बीमित राशि के संदर्भ में सारणीबद्ध एकल प्रीमियम में छूट निम्नानुसार होगी:

<table>
<tr><th rowspan="2">पॉलिसीधारक की श्रेणी</th><th colspan="2">छूट</th></tr>
<tr><th>पॉलिसी अवधि (वर्ष)</th><th>प्रति रु 10000 बीएसए</th></tr>
<tr><td rowspan="4">यदि किसी मौजूदा पॉलिसीधारक के पास निगम की पॉलिसी है, जो इस उत्पाद के अंतर्गत प्रस्ताव के पंजीकरण से एक वर्ष के भीतर परिपक्व हो गई है और उसके द्वारा इस योजना को अपने जीवन और/या परिवार के किसी सदस्य के जीवन पर खरीदा जाता है*;
या
यदि यह योजना निगम के मृतक पॉलिसीधारक के नामिती/लाभार्थी द्वारा खरीदी जाती है, जहाँ मृत्यु की तिथि इस उत्पाद के अंतर्गत प्रस्ताव के पंजीकरण से एक वर्ष के भीतर है;
या
यदि यह योजना किसी मौजूदा पॉलिसीधारक द्वारा खरीदी जाती है, जिसके पास निगम की एक चालू पॉलिसी है।
(*परिवार के सदस्यों का अर्थ है दादा-दादी, माता-पिता, पति/पत्नी, बच्चे या पोते-पोतियाँ)</td><td>5 से 9</td><td>4</td></tr>
<tr><td>10 से 14</td><td>5</td></tr>
<tr><td>15 से 19</td><td>6</td></tr>
<tr><td>20</td><td>7</td></tr>
</table>

7. पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन–लाइफ इंश्योरेंस (पीओएसपी – एलआई) और सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से खरीदी गई योजना :

इस योजना को पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन–लाइफ इंश्योरेंस (पीओएसपी–एलआई) और सीपीएससी–एसपीवी के ज़रिए खरीदा जा सकता है। लेकिन ऐसे मामलों में पात्रता की शर्तें तथा लागू अन्य शर्तें और प्रतिबंध आईआरडीएआई द्वारा पीओएस प्लान्स तथा पीओएसपी–एलआई को लागू दिशानिर्देशों, परिपत्रों तथा विनियमों के अनुसार होंगी। वर्तमान में पीओएसपी–एलआई और सीपीएससी–एसपीवी के ज़रिए प्राप्त किए गए प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित प्रतिबंध लागू हैं:

- पीओएसपी–एलआई/सीपीएससी–एसपीवी चैनल के माध्यम से विक्रय के लिए केवल विकल्प 1 उपलब्ध होगा।
- प्रवेश के समय अधिकतम आयु : 65 वर्ष (निकटवर्ती जन्मदिन) में से पॉलिसी अवधि घटाकर
- परिपक्वता पर अधिकतम आयु : 65 वर्ष (निकटवर्ती जन्मदिन)
- मृत्यु पर अधिकतम बीमा राशि (प्रति जीवन) : रु. 25 लाख

  एलआईसी की नव जीवन श्री एकल प्रीमियम असंबद्ध, असहभागी, बंदोबस्ती श्रेणी के पीओएस लाइफ़ प्रोडक्ट्स के अंतर्गत आता है, अगर इसे पीओएसपी–एलआई या सीपीएससी–एसपीवी के ज़रिए खरीदा गया हो। असंबद्ध, असहभागी, बंदोबस्ती प्रोडक्ट्स की इस श्रेणी में सभी योजनाओं के अंतर्गत सभी पॉलिसियों के संदर्भ में प्रत्येक मृत्यु पर अधिकतम स्वीकार्य बीमा राशि रु.25 लाख होगी, अगर उन्हें पीओएसपी–एलआई और सीपीएससी–एसपीवी चैनल (दोनों शामिल) के ज़रिए खरीदा गया हो।

  तथापि, प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु पर अधिकतम स्वीकार्य बीमा राशि का निर्धारण, निगम की जोखिमांकन नीति के साथ इस उत्पाद के अंतर्गत गैर–चिकित्सीय सीमाओं के अनुसार किया जाएगा।
- पीओएसपी–एलआई और सीपीएससी–एसपीवी के ज़रिए प्राप्त की गई पॉलिसियों के मामले में कोई राइडर उपलब्ध नहीं होगी।
- अगर बिक्री की शुरूआत पीओएसपी–एलआई तथा सीपीएससी–एसपीवी के द्वारा की जाती है तो एलआईसी की नव जीवन श्री एकल प्रीमियम हेतु लागू विशेषता दस्तावेज (केएफडी) व प्रस्ताव प्रपत्र इस्तेमाल किया जाएगा।

8. अभ्यर्पण:

पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय पॉलिसी का अभ्यर्पण किया जा सकता है।

अभ्यर्पण करने पर, निगम द्वारा निम्नांकित में से जो भी अधिक हो, अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान किया जाएगा

ए) गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य और किन्हीं उपार्जित गारंटीड एडीशन्स का अभ्यर्पण मूल्य; या

बी) विशेष अभ्यर्पण मूल्य।

गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य इस प्रकार होगा :

- प्रथम तीन पॉलिसी वर्षों के दौरान : भुगतान की गई एकल प्रीमियम का 75%
- उसके बाद : भुगतान की गई एकल प्रीमियम का 90%

उपरोक्त एकल प्रीमियम में कर, कोई अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर के लिए प्रीमियम, यदि चयनित हो, शामिल नहीं होंगे।

जीएसवी की गणना के लिए, उपार्जित गारंटीड एडीशन्स में प्रत्येक पूर्ण पॉलिसी वर्ष के लिए गारंटीड एडीशन्स और पॉलिसी वर्ष, जिसमें पॉलिसी का अभ्यर्पण किया गया है, के लिए पूर्ण महीनों के अनुपात में आनुपातिक आधार पर गारंटीड एडीशन्स शामिल होंगी। पैरा 3.सी में निर्दिष्ट गारंटीकृत एडीशन्स पर विचार किया जाएगा।

किन्हीं उपार्जित गारंटीड एडीशन्स का अभ्ययर्पण मूल्य उपार्जित गारंटीड एडीशन्स पर लागू जीएसवी गुणक से गुणा की गई उपार्जित गारंटीड एडीशन्स होंगी।

गारंटीड अभिवृद्धियों पर लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य गुणकों को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है और यह पॉलिसी के अभ्यर्पण वाले पॉलिसी अवधि और पॉलिसी वर्ष पर निर्भर करता है और नीचे निर्दिष्ट किए गए अनुसार है।

Guaranteed Surrender Value factors applicable to accrued Guaranteed Additions																
	Policy Term →															
Policy Year	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%
2	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%
3	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%
4	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%
5	35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%
6		35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%
7			35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%
8				35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%
9					35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%
10						35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%
11							35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%
12								35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%
13									35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%
14										35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%
15											35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%
16												35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%
17													35.00%	30.00%	27.06%	25.05%
18														35.00%	30.00%	27.06%
19															35.00%	30.00%
20																35.00%

विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी) की आईआरडीएआई के जीवन बीमा उत्पादों पर प्रधान परिपत्र देखें : आईआरडीएआई/एसीटीएल/एमएसटीसीआई/एमआईएससी/89/6/2024 दिनांकित 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किसी भी अनुवर्ती परिपत्रों के अनुरूप वार्षिक रूप से समीक्षा की जाएगी।

राइडर (यदि कोई हो) पर कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा।

अभ्यर्पण मूल्य के भुगतान के बाद, पॉलिसी समाप्त हो जाएगी और कोई और लाभ देय नहीं होगा।

9. पॉलिसी ऋण:

पॉलिसी अवधि के दौरान, पॉलिसी के अभ्यर्पण मूल्य के भीतर ऋण उपलब्ध होगा, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों :

i. पॉलिसी के पूरा होने के तीन महीने बाद (यानी पॉलिसी जारी करने की तिथि से 3 महीने) या नि: शुल्क अवलोकन अवधि की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय ऋण लिया जा सकता है।

ii. पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण मूल्य के प्रतिशत के रूप में अधिकतम ऋण की अनुमति निम्नानुसार होगी :

10 वर्ष से कम की पॉलिसी अवधि के लिए :

पॉलिसी वर्ष	अभ्यर्पण मूल्य का प्रतिशत
1 से 2	60%
3 से 5	80%
6 से 9	90%

10 वर्ष या उससे अधिक की पॉलिसी अवधि के लिए :

पॉलिसी वर्ष	अभ्यर्पण मूल्य का प्रतिशत
1 से 2	50%
3 से 5	60%
6 से 9	65%
10 और उससे अधिक	70%

iii. 1 मई से 30 अप्रैल की 12 माह की प्रत्येक अवधि के लिए इस पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले ऋण हेतु पूर्ण ऋण अवधि के लिए लागू ऋण ब्याज दर पिछले वित्तीय वर्ष की अंतिम व्यापारिक तिथि के अनुसार 10 वर्ष जी–सेक यील्ड प्रति वर्ष चक्रवृद्धि अर्द्ध–वार्षिक में 3% जोड़कर या निगम के असंबद्ध, असहभागी फंड की

आमदनी में 1% जोड़कर, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2025 से 30 अप्रैल, 2026 तक शुरू होने वाली 12 माह की अवधि के दौरान स्वीकृत ऋण के लिए ऋण की पूर्णावधि हेतु लागू ब्याज दर 9.5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि अर्द्ध–वार्षिक होगी। पॉलिसी ऋण के लिए ब्याज दर के निर्धारण हेतु आधार परिवर्तन के अधीन हैं।

iv. पॉलिसी अवधि के दौरान, देय तिथियों पर ब्याज भुगतान में चूक होने की स्थिति में और ब्याज सहित बकाया ऋण की राशि अभ्यर्पण मूल्य से अधिक हो जाने पर, निगम ऐसी पॉलिसियों का समय से पूर्व समापन करने का अधिकारी होगा। पूर्वसमापन किए जाने पर ऐसी पॉलिसियाँ अभ्यर्पण मूल्य और ब्याज के साथ ब्याज ऋण की बकाया राशि के अंतर, यदि कोई हो, के भुगतान की अधिकारी होंगी।

v. पॉलिसी से बाहर निकलते समय दावे की राशि से किसी बकाया ऋण की ब्याज सहित वसूली की जाएगी।

10. कुछ घटनाओं में जब्ती:

यदि पाया जाता है कि प्रस्ताव, व्यक्तिगत विवरण, घोषणा और संबंधित दस्तावेजों में कोई असत्य या गलत कथन है या कोई महत्वपूर्ण जानकारी दबाई गई है, तो, और ऐसी प्रत्येक स्थिति में पॉलिसी शून्य हो जाएगी और इसके आधार पर किसी भी हितलाभ के सभी दावे समय–समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

11. पॉलिसी की समाप्ति:

निम्नलिखित में से कोई भी घटना सबसे पहले घटित होने पर पॉलिसी तुरंत और स्वचलित रूप से समाप्त हो जाएगी:

ए) जिस तिथि को एकमुश्त मृत्यु हितलाभ/मृत्यु हितलाभ की अंतिम किस्त का भुगतान किया जाता है; या

बी) जिस तिथि को पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण हितलाभों का निपटान किया जाता है; या

सी) यदि निपटान विकल्प का प्रयोग नहीं या जाता है, तो परिपक्वता की तिथि पर; या

डी) निपटान विकल्प के अंतर्गत अंतिम किस्तों के भुगतान पर; या

ई) अनुच्छेद 9 iv में निर्दिष्टानुसार ऋण के ब्याज के भुगतान में चूक होने की स्थिति में; या

एफ) मुक्त अवलोकन निरस्तीकरण राशि के भुगतान पर; या

जी) उपरोक्त अनुच्छेद 10 में निर्दिष्टानुसार जब्ती की स्थिति में।

12. कर:

भारत सरकार या किसी अन्य संवैधानिक भारतीय कर प्राधिकरण द्वारा ऐसी बीमा योजनाओं पर आरोपित वैधानिक कर, यदि कोई हो, कर कानूनों के अनुसार होंगे और कर की दर समय–समय पर लागू अनुसार होगी।

प्रीमियमों पर पॉलिसीधारक द्वारा प्रचलित दरों के अनुसार लागू करों की राशि, मूल प्लान और राइडरों के लिए, यदि कोई हो, अतिरिक्त प्रीमियम सहित, यदि कोई हो, देय होगी, जिसे पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियम के अतिरिक्त अलग से वसूल किया जाएगा। भुगतान किए गए कर की राशि को योजना के अंतर्गत देय किसी भी लाभ की गणना के लिए नहीं माना जाएगा।

आयकर हितलाभों/भुगतान की गई प्रीमियम(मों) पर निहितार्थों एवं इस योजना के अंतर्गत देय लाभों के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अपने कर सलाहकार से परामर्श करें।

13. निशुल्क अवलोकन अवधि:

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के “नियमों व शर्तों” से संतुष्ट नहीं है, तो पॉलिसी दस्तावेज के इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि से प्राप्त होने, जो भी पहले हो, की तिथि से 30

दिनों के भीतर आपत्तियो के कारण बताते हुए निगम को पॉलिसी वापिस कि जा सकती है। इसकी प्राप्ति पर, निगम द्वारा पॉलिसी विरस्त कर दी जाएगी और बीमा सुरक्षा की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (मूल योजना व राइडर, यदि कोई है), चिकित्सीय परीक्षण, (विशेष रिपोटो सहित, यदि कोई हो) पर हुए व्ययो और स्टम्प शुल्क प्रकारो की कटौती करने के बाद जमा की गई एकल प्रीमियम की राशि वापस लौटा दी जाएगी।

14. आत्महत्या संबंधी अपवर्जन:

यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) जोखिम के शुरू होने की तिथि से 12 माह के भीतर किसी भी समय आत्महत्या करता है, तो बीमित व्यक्ति का नामित व्यक्ति या लाभार्थी कुल अदा किए गए एकल प्रीमियम्स में से (किसी भी कर को छोड़कर, अतिरिक्त प्रीमियम और टर्म एश्योरेंस राइडर के अलावा राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो) मृत्यु की तिथि तक आने वाली राशि का 80% जो भी अधिक हो पाने का पात्र होगा। बीमित व्यक्ति का नामित व्यक्ति या लाभार्थी पॉलिसी के अंतर्गत किसी अन्य दावे का पात्र नहीं होगा। यह अनुच्छेद उस स्थिति में लागू नहीं होगा, जब बीमित व्यक्ति की आयु 8 वर्ष से कम हो और ऐसे मामले में 8 वर्ष से कम आयु के बीमित व्यक्ति के लिए लागू मृत्यु हितलाभ देय होगा।

15. प्रतीक्षा अवधि :

अगर प्लान को पॉइन्ट ऑफ़ सेल्स पर्सन्स–लाइफ़ इंश्योरेन्स (पीओएसपी–एलआई) या सीपीएससी–एसपीवी के ज़रिए खरीदा जाता है, तो जोखिम के आरंभ होने की तिथि से पहले 90 दिनों के अंदर बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, निगम द्वारा कि गई गए एकल वापस कर दी जाएगी, तथा मृत्यु दुर्घटना से न हुई हो। लेकिन, अगर प्रतीक्षा अवधि में मृत्यु का कारण दुर्घटना हो, तो पैरा 3ए में विनिर्धारित अनुसार मृत्यु हितलाभ देय होगा। यह अनुच्छेद उस स्थिति में लागू नहीं होगा, जब बीमित व्यक्ति की आयु 8 वर्ष से कम हो और ऐसे मामले में 8 वर्ष से कम आयु के बीमित व्यक्ति के लिए लागू मृत्यु हितलाभ देय होगा।

16. हितलाभ का नमूना उदाहरण :

उदाहरण-I:

संभावित/पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति का विवरण		पॉलिसी विवरण	प्रस्ताव संख्या:
वितरण चैनल:	ऑफ़लाइन	विकल्प	विकल्प I
संभावित ग्राहक/पॉलिसीधारक का नाम:		मूल बीमा राशि (रु.)	200,000
उम्र:	मृत्यु पर बीमा राशि (पॉलिसी के प्रारंभ में)* रु.		269,813
बीमित व्यक्ति का नाम:		पॉलिसी अवधि:	10
उम्र:	35	प्रीमियम भुगतान अवधि:	**1**
		किस्त प्रीमियम की राशि (मूल योजना के लिए):	**208,850**
		प्रीमियम के भुगतान का माध्यम:	**एकल**

यह हितलाभ उदाहरण पॉलिसी के अंतर्गत देय वार्षिक प्रीमियम और हितलाभों को दर्शाता है।

प्रीमियम का सारांश			
	मूल योजना	राइडर 1	कुल किस्त प्रीमियम
जीएसटी के बिना किस्त प्रीमियम	**208,850.00**		**208,850.00**
पहले वर्ष की @ 4.50% जीएसटी के साथ किस्त प्रीमियम	**218,248.00**		**218,248.00**
जीएसटी सहित किस्त प्रीमियम @ लागू नहीं (दूसरे वर्ष से)	**लागू नहीं**		**लागू नहीं**

टिप्पणी: जीएसटी दर समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार होगी.

(राशि रुपए में)

"पॉलिसी वर्ष (वर्ष की समाप्ति पर)"	एकल प्रीमियम[2]	गारंटीड				गारंटीकृत नहीं	अभ्यर्पण मूल्य देय
		गारंटीड एडीशन्स	परिपक्वता हितलाभ	मृत्यु हितलाभ[3]	गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य (GSV)	विशेष अभ्यर्पण मूल्य (SSV)[4]	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	208,850	17,000	0	286,813	159,800	198,420	198,420
2	0	34,000	0	303,813	163,159	212,647	212,647
3	0	51,000	0	320,813	166,802	227,903	227,903
4	0	68,000	0	337,813	202,143	244,212	244,212
5	0	85,000	0	354,813	206,657	261,724	261,724
6	0	102,000	0	371,813	211,813	280,465	280,465
7	0	119,000	0	388,813	217,775	300,544	300,544
8	0	136,000	0	405,813	224,767	322,097	322,097
9	0	153,000	0	422,813	233,865	345,230	345,230
10	0	170,000	370,000	439,813	247,465	370,000	370,000

टिप्पणियाँ:

इस उदाहरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पादों की विशेषताएँ और कुछ स्तर तक परिमाणीकरण के साथ लाभ का प्रवाह पहचान पाएँ।

यह दृष्टांत एक मानक (चिकित्सीय, जीवन शैली और व्यवसायिक दृष्टि से) जीवन पर लागू होता है।

1. इसमें पॉलिसी आरंभ होने पर प्रस्तावक/पॉलिसीधारक द्वारा चुने गए सभी राइडर(रों) के संबंध में राइडर प्रीमियम शामिल हैं।
2. वार्षिक प्रीमियम में जोखिमांकन अतिरिक्त प्रीमियम, प्रीमियम पर प्रभार की आवृत्ति, राइडरों के प्रति भुगतान की गई प्रीमियम, यदि कोई हो, और वस्तु और सेवा कर शामिल नहीं हैं।
3. मृत्यु हितलाभ प्रस्तावक/पॉलिसीधारक द्वारा चयनित विकल्प पर आधारित होगा। विभिन्न विकल्पों के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ के विस्तृत विवरणों के लिए विक्रय साहित्य देखें।
4. अभ्यर्पण मूल्य गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी) और विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी) में से उच्चतर होगा। विशेष अभ्यर्पण मूल्य की आईआरडीएआई के जीवन बीमा उत्पादों पर प्रधान परिपत्र देखें: आईआरडीएआई/एसीटीएल/एमएसटीसीआईआर/एमआईएससी/89/6/2024 दिनांकित 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किन्हीं अनुवर्ती परिपत्रों के अनुरूप समीक्षा की जाएगी।

   * 8 वर्ष से कम आयु के अवयस्कों के मामले में, ऊपर प्रदर्शित मृत्यु पर बीमित राशि (पॉलिसी के प्रारंभ में) जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि के बाद लागू होगी।

उदाहरण-II:

संभावित/पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति का विवरण		पॉलिसी विवरण	प्रस्ताव संख्या:
वितरण चैनल:	ऑफ़लाइन	विकल्प	विकल्प II
संभावित ग्राहक/पॉलिसीधारक का नाम:		मूल बीमा राशि (रु.)	200,000
उम्र:	मृत्यु पर बीमा राशि (पॉलिसी के प्रारंभ में)* रु.		2,480,900
बीमित व्यक्ति का नाम:		पॉलिसी अवधि:	10
उम्र:	35	प्रीमियम भुगतान अवधि:	**1**
		किस्त प्रीमियम की राशि (मूल योजना के लिए):	**241,690**
		प्रीमियम के भुगतान का माध्यम:	**एकल**

यह हितलाभ उदाहरण पॉलिसी के अंतर्गत देय वार्षिक प्रीमियम और हितलाभों को दर्शाता है।

प्रीमियम का सारांश			
	मूल योजना	राइडर 1	कुल किस्त प्रीमियम
जीएसटी के बिना किस्त प्रीमियम	**241,690.00**		**241,690.00**
पहले वर्ष की @ 4.50% जीएसटी के साथ किस्त प्रीमियम	**252,566.00**		**252,566.00**
जीएसटी सहित किस्त प्रीमियम @ लागू नहीं (दूसरे वर्ष से)	**लागू नहीं**		**लागू नहीं**

टिप्पणी: जीएसटी दर समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार होगी.

(राशि रुपए में)

"पॉलिसी वर्ष (वर्ष की समाप्ति पर)"	एकल प्रीमियम²	गारंटीड				गारंटीकृत नहीं	अभ्यर्पण मूल्य देय
		गारंटीड एडीशन्स	परिपक्वता हितलाभ	मृत्यु हितलाभ³	गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य (GSV)	विशेष अभ्यर्पण मूल्य (SSV)⁴	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	241,690	17,000	0	2,497,900	184,430	224,511	224,511
2	0	34,000	0	2,514,900	187,789	237,632	237,632
3	0	51,000	0	2,531,900	191,432	251,340	251,340
4	0	68,000	0	2,548,900	231,699	265,881	265,881
5	0	85,000	0	2,565,900	236,213	281,181	281,181
6	0	102,000	0	2,582,900	241,369	297,270	297,270
7	0	119,000	0	2,599,900	247,331	314,031	314,031
8	0	136,000	0	2,616,900	254,323	331,826	331,826
9	0	153,000	0	2,633,900	263,421	350,536	350,536
10	0	170,000	370,000	2,650,900	277,021	370,000	370,000

टिप्पणियाँ:

इस उदाहरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पादों की विशेषताएँ और कुछ स्तर तक परिमाणीकरण के साथ लाभ का प्रवाह पहचान पाएँ।

यह दृष्टांत एक मानक (चिकित्सीय, जीवन शैली और व्यवसायिक दृष्टि से) जीवन पर लागू होता है।

1. इसमें पॉलिसी आरंभ होने पर प्रस्तावक/पॉलिसीधारक द्वारा चुने गए सभी राइडर(रों) के संबंध में राइडर प्रीमियम शामिल हैं।
2. वार्षिक प्रीमियम में जोखिमांकन अतिरिक्त प्रीमियम, प्रीमियम पर प्रभार की आवृत्ति, राइडरों के प्रति भुगतान की गई प्रीमियम, यदि कोई हो, और वस्तु और सेवा कर शामिल नहीं हैं।
3. मृत्यु हितलाभ प्रस्तावक/पॉलिसीधारक द्वारा चयनित विकल्प पर आधारित होगा। विभिन्न विकल्पों के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ के विस्तृत विवरणों के लिए विक्रय साहित्य देखें।
4. अभ्यर्पण मूल्य गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी) और विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी) में से उच्चतर होगा। विशेष अभ्यर्पण मूल्य की आईआरडीएआई के जीवन बीमा उत्पादों पर

   प्रधान परिपत्र देखें संदर्भ: आईआरडीएआई/एसीटीएल/एमएसटीसीआईआर/एमआईएससी/89/6/2024 दिनांकित 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी अन्य अनुवर्ती परिपत्रों के अनुरूप समीक्षा की जाएगी।

* 8 वर्ष से कम आयु के अवयस्कों के मामले में, ऊपर प्रदर्शित मृत्यु पर बीमित राशि (पॉलिसी के प्रारंभ में) जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि के बाद लागू होगी।

17.शिकायत निवारण प्रणाली

निगम की:

ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए निगम के शाखा/मंडल/क्षेत्रीय/केन्द्रीय कार्यालय में शिकायत समाधान अधिकारी (जीआरओ) हैं। ग्राहक जीआरओ के नाम और संपर्क संबंधी विवरणों और शिकायतों से संबंधित अन्य जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट (https://licindia.in/web/guest/grievances) पर विज़िट कर सकते हैं। ग्राहकों की शिकायत का शीघ्र समाधान करने के लिए निगम ने अपने कस्टमर पोर्टल (वेबसाइट) http://www.licindia.in के माध्यम से ग्राहकोन्मुखी एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली प्रस्तुत की है, जिसके माध्यम से पंजीकृत पॉलिसी धारक अपनी शिकायत को सीधे दर्ज करवा सकते हैं तथा उसकी स्थिति को देख भी सकते हैं। ग्राहक अपनी किसी भी समस्या के समाधान के लिए ई–मेल आईडी co_complaints@licindia.com पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

जो भी दावाकर्ता मृत्यु दावे के इनकार के निर्णय से संतुष्ट नहीं होते हैं, उनके पास अपना प्रकरण समीक्षा के लिए क्षेत्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति या केन्द्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति के पास भेजने का विकल्प होता है। एक सेवा–निवृत्त उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय न्यायाधीश प्रत्येक दावा विवाद निवारण समिति का सदस्य होता है।

आईआरडीएआई की:

यदि ग्राहक जवाब से संतुष्ट नहीं है या 15 दिनों के भीतर हमसे कोई जवाब नहीं मिलने पर ग्राहक द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी माध्यम से पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

i) टोल फ्री नंबर 155255/18004254732 (अर्थात आईआरडीएआई के शिकायत कॉल सेन्टर–बीमा भरोसा या शिकायत निवारण केंद्र) कॉल करके

ii) complaints@irdai.gov.in पर ई–मेल प्रेषित करके

iii) https://bimabharosa.irdai.gov.in/ पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके

iv) कूरियर/पत्र के जरिए शिकायत भेजने का पता:

महाप्रबंधक, पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, सर्वे सं. 115/1, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, गाचीबावली, हैदराबाद – 500 032, तेलंगाना।

लोकपाल की:

दावा संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए, दावाकर्ता बीमा लोकपाल से भी संपर्क कर सकते हैं, जहाँ ग्राहकों को कम से कम लागत में त्वरित निर्णय मिलता है।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45:

समय-समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधान लागू होंगे। वर्तमान प्रावधान इस प्रकार है:

(1) पॉलिसी की तिथि, यानी पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनरुज्जीवन की तिथि या पॉलिसी पर हितलाभ की तिथि, जो भी बाद में हो, से 3 वर्ष समाप्त होने के पश्चात जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर किसी भी आधार पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

(2) जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर धोखाधड़ी के आधार पर पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनरुज्जीवन की तिथि या पॉलिसी के हितलाभ की तिथि, जो भी बाद में हो, से 3 वर्ष समाप्त होने के भीतर किसी भी समय प्रश्न उठाया जा सकता है।

बशर्ते, बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशितियों को ऐसे आधारों एवं सामग्रियों की लिखित सूचना देनी होगी, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है।

स्पष्टीकरण I : इस उप-धारा के उद्देश्य से, अभिव्यक्ति "धोखाधड़ी" से आशय बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने, या बीमाकर्ता को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने हेतु प्रभावित करने की मंशा से निम्नांकित में से कोई भी कृत्य किया जाता है:-

(ए) सुझाव, उस बारे में एक तथ्य के रूप में, जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;

(बी) उस बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाया जाना, और उसे ऐसे तथ्य का ज्ञान हो या उसमें विश्वास हो;

(सी) धोखा देने के लिए किया गया कोई अन्य कृत्य; एव

(डी) ऐसा कोई कृत्य या चूक जो कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी के रूप में घोषित हो।

स्पष्टीकरण II : बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के आकलन को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में सिर्फ चुप रहना धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार, बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता का यह कर्तव्य है, बोलने से चुप रहना, या अन्यथा उसकी खामोशी, अपने आप में बोलने के बराबर हो।

(3) उपधारा (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी बीमाकर्ता किसी जीवन बीमा पॉलिसी को धोखाधड़ी के आधार पर अस्वीकृत नहीं कर सकता है, अगर बीमित व्यक्ति/लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि उसके द्वारा की गई गलतबयानी उसकी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही थी और उसने जान-बूझकर तथ्यों को छिपाने की कोशिश नहीं की या कथित गलतबयानी या महत्त्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था:

बशर्ते धोखाधड़ी के मामले में इसे गलत साबित करने का दायित्व लाभार्थियों पर है अगर पॉलिसीधारक जीवित नहीं है।

स्पष्टीकरण – कोई व्यक्ति जो बीमा की अनुबन्ध का आग्रह और उसकी सौदेबाजी करता है, उसे अनुबंध के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का अभिकर्ता माना जाएगा।

(4) जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर पॉलिसी के जारी करने की तिथि या जोखिम के आरंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनरुज्जीवन की तिथि या पॉलिसी के हितलाभ की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय, इस आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि बीमित व्यक्ति के जीवनकाल से संबंधित किसी तथ्य को प्रस्ताव प्रपत्र में या किसी अन्य दस्तावेज में, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनर्चलित की गई थी या हितलाभ जारी किया गया था, छिपाया गया था या गलत दिखाया गया था:

बशर्ते बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि या नामांकित व्यक्तियों या समनुदेशितियों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर जीवन बीमा की पॉलिसी को अस्वीकृत करने का यह निर्णय लिया गया है।

बशर्ते महत्त्वपूर्ण तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकृत किए जाने तथा धोखाधड़ी की स्थिति न होने पर, अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर जमा की गई सभी प्रीमियमों का भुगतान बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या समनुदेशितियों को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस उप–धारा के प्रयोजन हेतु, किसी तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने को तब तक महत्त्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसका बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव न हो, यह प्रमाणित करने का दायित्व बीमाकर्ता का होगा कि अगर बीमाकर्ता को स्थापित तथ्य की जानकारी होती तो वह बीमित व्यक्ति को यह जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं करता।

(5) इस धारा में निहित कुछ भी बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र का प्रमाण माँगने से नहीं रोकती है, अगर वह इसके लिए अधिकृत है तथा किसी पॉलिसी पर केवल इसलिए प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि प्रस्ताव में गलत उल्लेख की गई बीमित व्यक्ति की उम्र को सबूत के आधार पर बाद में समायोजित किया गया था।

छूटों की निषिद्धता (बीमा अधिनियम, 1938 का धारा 41):

1. किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन के तौर पर किसी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ती से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के बारे में कोई बीमा लेने या उसका नवीनीकरण करवाने या उसे जारी रखने, देय कमीशन में से संपूर्ण या आंशिक रूप में कोई छूट देने या पॉलिसी पर दर्शाई गई प्रीमियम में से कोई भी छूट देने की अनुमति नहीं होगी या अनुमति प्रस्तावित नहीं होगी और न ही कोई व्यक्ति तब तक किसी तरह की छूट स्वीकार करके कोई पॉलिसी लेगा या उसका नवीनीकरण करवाएगा या उसे जारी रखेगा, जब तक कि ऐसी छूट बीमाकर्ता की तालिका या प्रकाशित विवरणिका के अनुसार मान्य न हो।
2. इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन करने से चूक करने वाला व्यक्ति अर्थदंड का भागी होगा, जो दस लाख रुपए तक हो सकता है।

एलआईसी पर लागू होने वाले, बीमा अधिनियम, 1938 के विभिन्न धारा, समय–समय पर यथा संशोधित।

यह उत्पाद विवरणिका इस योजना की केवल प्रमुख विशेषताएँ ही बताती है। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर पॉलिसी दस्तावेज देखें या हमारे निकटतम शाखा कार्यालय पर संपर्क करें।

कपटपूर्ण फोन कॉल और नकली/धोखाधड़ीपूर्ण प्रस्तावों से सावधान रहें।
आईआरडीएआई या इनके कर्मचारी बीमा व्यवसाय जैसे कि बीमा पॉलिसियों की बिक्री, बोनस की घोषणा या प्रीमियम्स के निवेश, राशियां लौटाना जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं। जिन पॉलिसीधारकों या संभावित ग्राहकों को ऐसे फ़ोन कॉल्स मिलें, वे कृपया पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करें।

भारतीय जीवन बीमा निगम

''भारतीय जीवन बीमा निगम'' की स्थापना 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जीवन बीमा का विस्तार मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तक करने के उद्‌देश्य के साथ की गई थी, जिससे कि यह देश के हर बीमा योग्य व्यक्ति तक पहुंच सके और उसे बीमा योग्य घटनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक संरक्षण प्रदान कर सके। भारतीय बीमा उद्योग के उदारीकरण के बाद भी एलआईसी निरतंर एक महत्त्वपूर्ण बीमा कंपनी की भूमिका निभा रहा है तथा अपने पुराने कीर्तिमानों को पीछे छोड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने अस्तित्व के छः दशकों को पार करते हुए एलआईसी अपने प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक मजबूती के साथ निरंतर अग्रसर है।

पंजीकृत कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम,

केन्द्रीय कार्यालय,

योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, मुंबई – 400021.

वेबसाइट: www.licindia.in

पंजीकरण संख्या: 512